

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी-रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र- 05/2022

प्रार्थी-

1. पूर्णाराम पुत्र श्रीराम उर्फ शिवराम जाति जाट , निवासी- कठौती तहसील-जायल , जिला-नागौर।

बनाम

अप्रार्थी-

1. रमेश पुत्र श्रीराम उर्फ शिवराम जाति जाट , निवासी- कठौती तहसील-जायल , जिला-नागौर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित-

1. अभिभाषक श्री बस्तीराम ढाका
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956

निर्णय

दिनांक :- 28/05/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम श्रीराम ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा कठौती तहसील जायल के सम्वत् 2073-2076 खतौनी सं. 1280 के खसरा नम्बर 2726/878, खसरा नंबर 2857/1316 में प्रार्थी खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के पिता के मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/372178, आधार कार्ड संख्या 9097 6148 3603, प्रार्थी के पिता के मृत्यू प्रमाण पत्र 59 दिनांक 16.11.2013, ग्राम पंचायत सरपंच कठौती द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या 75/2021 दिनांक 20.12.2021 तथा प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये 50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर शपत्र पत्र में प्रार्थी के पिता का सही नाम श्रीराम दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं में परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

AN
28/05/2022
सहायक कलक्टर
(वि.स.ओ) जायल

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पेशी को अप्रार्थी सं. 2 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 26.04.2022 को मय हल्का पटवारी कठौती की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी के पिता का नाम ऑनलाईन जमांबदी संम्बत 2073-2076 स्थायी में पूर्णाराम पुत्र शिवराम खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के ग्राम कठौती के खाता संख्या 1280 खसरा नंबर खसरा नम्बर 2726/878, खसरा नंबर 2857/1316 में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी के पिता को गांव में भी शिवराम के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के पिता के अन्य दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/372178, आधार कार्ड संख्या 9097 6148 3603, प्रार्थी के पिता के मृत्यू प्रमाण पत्र 59 दिनांक 16.11.2013, ग्राम पंचायत सरपंच कठौती द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या 75/2021 दिनांक 20.12.2021 तथा प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये 50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर शपत्र पत्र में नाम श्रीराम दर्ज है। प्रार्थी के पिता को गांव में बोलचाल में शिवराम के नाम से पुकारने के कारण विरासत के नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता का नाम शिवराम दर्ज किया गया था। आईएलआर एवं पटवार हल्का की संयुक्त रिपोर्ट में भी श्रीराम तथा शिवराम दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी कठौती तहसील जायल की रिपोर्ट, प्रार्थी के पिता के मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/372178, आधार कार्ड संख्या 9097 6148 3603, प्रार्थी के पिता के मृत्यू प्रमाण पत्र 59 दिनांक 16.11.2013, ग्राम पंचायत सरपंच कठौती द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या 75/2021 दिनांक 20.12.2021 तथा प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये 50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर शपत्र पत्र तथा ग्राम कठौती नकल खतौनी संम्बत् 2073-2076 खाता संख्या 1280 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में कठौती के खतौनी सं. 1280 में अंकित खसरान् में प्रार्थी के पिता का नाम शिवराम के स्थान पर श्रीराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज कठौती तहसील के खतौनी सं. 1280 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी के पिता के मतदाता पहचान पत्र संख्या

आरजे/02/192/372178, आधार कार्ड संख्या 9097 6148 3603, प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र 59 दिनांक 16.11.2013, ग्राम पंचायत सरपंच कठौती द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या 75/2021 दिनांक 20.12.2021 तथा प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये 50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर शपत्र पत्र की फोटो प्रति में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीराम एवं शिवराम एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय श्रीराम के स्थान पर शिवराम दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि श्रीराम एवं शिवराम दोनो एक ही व्यक्ति थे।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम कठौती के खाता संख्या 1280 में दर्ज खातेदार नाम पूर्णाराम पुत्र शिवराम के स्थान पर वास्तविक नाम पूर्णाराम पुत्र श्रीराम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश :: —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम कठौती तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 1280 दर्ज नाम पूर्णाराम पुत्र शिवराम के स्थान पर पूर्णाराम पुत्र श्रीराम दुरुस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26/05/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल